17.2.26 कार्यवाही पत्रावली

वादी वकील उप.1

वादी वकील द्वारा अपने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रस्तुत वाद एवं अन्य वाद सं. 52/2025 अनवान अचलाराम पुत्र रूपाराम की अस्थायी स्थगन के साथ ही विचारार्थ एवं पत्रावली की समान है, ऐसी स्थिति में प्रस्तुत वाद में स्थगित किया जावे।

वादी वकील की प्रस्तुत दलील के सम्बन्ध में अन्य दायर वाद सं. 52/2025 अनवान अचलाराम पुत्र रूपाराम जो कि सुनवाई हेतु आज ही रखी गई है का अवलोकन किया। वाद अवलोकन पाया गया कि दोनों प्रकरणों की विषय-वस्तु एक समान है तथा पक्षकारान की समान ही है, ऐसी स्थिति में ही अलग-अलग दोनों को पृथक-पृथक सुनवाई न्यायोचित प्रतीत नहीं होती।

लिहाजा इस वाद को अन्य वाद सं. 52/2025 अनवान अचलाराम पुत्र रूपाराम के साथ स्थगित किया जाकर इस वाद की अस्थायी को फाइल रूम पत्रावली स्थगित किया जा रहा है।

इस पत्रावली की कार्यवाही इसी स्तर पर पूर्ण की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी